न्यायालय— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी— सीमा कुमारी (आर0जे0एस0)

परिवादिया — आशा देवी

प्रकरण संख्या— 179/2025

सी.एन.आर. नं. — RJJH070011962025

प्र.सू.रिपोर्ट संख्या — 73/2025, थाना बबाई

धारा — 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता

दिनांक 01.05.2026

परिवादिया अनुपस्थित है। हस्तगत प्रकरण दिनांक 19.09.2025 से लंबित है। परिवादिया को जारी नोटिस दिनांक 28.03.2026 के लिए बाद तामील पेश हुआ, तथापि परिवादिया गत पेशी पर अनुपस्थित थी। आज भी परिवादिया अनुपस्थित है। अतः प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

1. हस्तगत प्रकरण में परिवादिया आशा देवी ने दिनांक 28.06.2025 को इस आशय की **प्र.सू.रिपोर्ट** न्यायालय में पेश की कि ''रात को 2.00 बजे दो आदमी नरेश पुत्र हजारीलाल व विजेन्द्र पुत्र हजारीलाल ये दोनों हाथों में कुल्हाड़ी व लाठी लेकर आए और हमें मारने की धमकी देकर दो भैंस खोलकर ले गए। 27 जून की सुबह जो घटना हुई, उसके बाद की यह घटना है। कल शाम को जब हम 5 बजे हमारे खेत में पत्थर डाल रहे थे, उनकी फोटो लेने गए तो सुनिता पत्नी राकेश व विजेन्द्र व बुगली देवी ने हमारे साथ अभद्र गाली—गलौच की, हमें खेत में भी नहीं जाने देते हैं। आदि—आदि।'' उक्त परिवाद पर प्र.सू.रिपोर्ट सं. 73/2025, पुलिस थाना खेतड़ी में दर्ज की गई।

2. हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने बाद अनुसंधान **निष्कर्ष** दिया कि ''परिवादी व आरोपीगण एक ही परिवार के हैं। उभयपक्षों में परिवादिया की दादी सास की पेंशन का विवाद है। खेत में परिवादिया आशा देवी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। परिवादिया के खेत की जमीन पर पत्थर उठाने की कोई घटना नहीं हुई थी। अतः संपूर्ण तफ्तीश से मामला **अदम वकू झूठ** का होना पाया गया है।''

3. पत्रावली पर पेश साक्ष्य से अनुसंधान अधिकारी के निष्कर्ष की ताईद होती है। परिवादिया की अनुपस्थिति व पत्रावली पर पेश साक्ष्य के मद्देनजर यह न्यायालय प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन को **"अदम वकू झूठ"** में स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल केस डायरी संबंधित थाने को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

(सीमा कुमारी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतड़ी जिला झुन्झुनूं